		जारी हुये
12.07.22	प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सीपीसी पेश हुआ। वकील प्रार्थीया उपस्थित। वकील प्रार्थीया का कथन है कि वह अन्य न्यायालय में व्यस्त थे, श्रीमान्जी के न्यायालय में आवाज लगने पर उपस्थित नहीं हो पाये जिसके कारण दावा प्रार्थीया अदम हाजिरी व पैरवी में खारिज हो गया, प्रार्थीया अपना दावा कन्टेस्ट करना चाहती है। दावा पुनः नम्बर पर लिये जाने का निवेदन किया है। पत्रावली का अवलोकन किया मूलवाद पत्रावली दफ्तर से तलब की गई। मूलवाद प्रतिवादीगण की तलबी में विचाराधीन है, प्रार्थना पत्र मूलवाद को पुनः नम्बर पर लिये जाने बाबत् पेश किया गया है, वकील वादीया के कथनों का मनन करने व न्यायहित में वादीया का दावा पुनः नम्बर पर लिया जाना हम उचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थिया स्वीकार किया जाकर वादीया का मूलवाद पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फेसलशुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे। उपखण्डाधिकारी धौलपुर (राज)	